त्रिपुरारि शरण भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
TRIPURARI SHARAN, I.A.S
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना-800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax: 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक– 3/एम0–117/2011 सा0प्र0..9423./
दिनांक.25...अगस्त, 2021

सेवा में

<u>सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>पुलिस महानिदेशक</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः– राजकीय शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि समारोहों में संसद एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

जन प्रतिनिधि होने के फलस्वरूप संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का लोकतंत्रिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–8841 दिनांक–20.06.2012 द्वारा सांसदों/विधान मंडल सदस्यों के साथ शिष्टतापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने तथा राज्य में आयोजित राजकीय समारोह अथवा बैठकों में संसद एवं विधान मंडल के सदस्यों का स्थान आरक्षित रखने एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–16593 दिनांक–28.12.2017 द्वारा सांसदों/विधान मंडल सदस्यों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का सम्मानजनक सामाधान किये जाने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1215 दिनांक–25.01.2018 द्वारा भी राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसदों एवं विधान मंडल सदस्यों को निश्चित रूप से आमंत्रित किये जाने तथा उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किये जाने हेतु निदेश संसूचित है।

पुनः संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक–523 दिनांक–27.07.2021 द्वारा प्रशासन एवं सांसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी कार्य व्यवहार में उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है।

परन्तु कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसदों एवं विधान मंडल सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया तथा सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह/माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना है तथा उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किया जाना है। उक्त से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

25/8/21
(त्रिपुरारि शरण)